दिनांक 24.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 395/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **03 लाख 27 हजार 470 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 24.07.2026 को थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हैबतपुर रोड स्थित कब्रिस्तान के पास से अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 03 लाख 27 हजार 470 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना हसनपुर क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अमरोहा, सम्भल के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिजवान निवासी ग्राम बेला थाना असमोली जनपद सम्भल हालपता–हैबतपुर रोड कस्बा हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–03 लाख 27 हजार 470 रूपये नगद आदि।

जनपद औरैया/थाना अछल्दा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 12 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.07.2026 को थाना अछल्दा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुर्कपुर बम्बा अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–राजा 2–चन्द्रभान उर्फ टिल्लू 3–मनोज कुमार 4–सर्बजीत को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 12 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.07.2026 को थाना अछल्दा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अछल्दा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अछल्दा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा निवासी जयकरन पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

2–चन्द्रभान उर्फ टिल्लू निवासी जयकरन पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

3–मनोज कुमार निवासी जयकरन पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

4–सर्बजीत निवासी जयकरन पुर्वा थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1–लूट के 12 हजार 200 रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद जालौन/थाना कदौरा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 50 हजार 270 रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 23.07.2026 को थाना कदौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रिंकू 2–राघवेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–शैलेन्द्र 4–अंकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 50 हजार 270 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.06.2026 को थाना कदौरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कदौरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रिंकू के विरूद्ध जनपद महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ रग्घू के विरूद्ध जनपद हमीरपुर, महोबा, बांदा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कदौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी ग्राम महेरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर।

2–राघवेन्द्र निवासी ग्राम महेरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर।

3–शैलेन्द्र निवासी ग्राम दामु पुरवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

4–अंकित निवासी ग्राम महेरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 50 हजार 270 रूपये नगद।

2–05 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल (08 मोटर साइकिल तथा 07 कटी हुयी मोटर साइकिल के पुर्जे) बरामद**

दिनांक 24.07.2026 को थाना गौरीगंज, थाना जामो व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–दिनेश 2–मो0 वासिद 3–मो0 ताजीर उर्फ महताब 4–फैसल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल (08 मोटर साइकिल तथा 07 कटी हुयी मोटर साइकिल के पुर्जे) बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी ग्राम रेशी थाना जामो जनपद अमेठी।

2–मो0 वासिद निवासी सूखी बाजगढ़ थाना जामो जनपद अमेठी।

3–मो0 ताजीर उर्फ महताब निवासी अजबगढ़ थाना जामो जनपद अमेठी।

4–फैसल निवासी अजबगढ़ थाना जामो जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–चोरी की 15 मोटर साइकिल (08 मोटर साइकिल तथा 07 कटी हुयी मोटर साइकिल के पुर्जे)।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–126

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.07.2026 को थाना सेक्टर–126 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढ़ी शाहपुर कट सेक्टर–131 नोएडा के पास से 03 अभियुक्तों 1–विकास कुमार 2–रोहित 3–कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–126 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास कुमार निवासी ग्राम भरानपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर, वर्तमान पता खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–रोहित निवासी गंगावास थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, वर्तमान पता सलारपुर सेक्टर–101 नोएडा थाना सेक्टर–39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–कुलदीप निवासी ग्राम सबदलपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना खतौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/एन/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त टिंकू उर्फ पिंकू को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना को0 औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को0औरैया पर पंजीकृत अभियोग में 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सरमन को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में 363/366 व 376 भादवि सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट एंव 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रवेश कुमार को 20 वर्ष के कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना हाथीनाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 47 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना हाथीनाला पर पंजीकृत अभियोग में 117(3)/74/351(3) बीएनएस व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रमाशंकर को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 47 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 24.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 396/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की वाराणसी तथा बरेली इकाई द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 24.07.2026 को सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की वाराणसी तथा बरेली इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1-सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की वाराणसी इकाई द्वारा शिकायतकर्ता मानसिंह निवासी रसूलपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर से कार्यालय चकबन्दी अधिकारी शाहगंज जौनपुर में दाखिल आपत्ति पर रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी सेक्टर की ट्रैप टीम द्वारा तहसील शाहगंज जौनपुर गेट से **अनिल कुमार चकबन्दी कानूनगो तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर** को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2-सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा शिकायतकर्ता से उसके द्वारा अन्त ग्रहित किये गये बीज का सत्यापन एवं टैग देने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर की ट्रैप टीम द्वारा जनपद मुरादाबाद से **श्री रूप सिंह उपनिदेशक उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था मुरादाबाद** को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———————